उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–1
संख्याः–782 / 14–1–2014–300(01) / 2007
लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 जी0 सुधाकर, भा0व0से0, क्षेत्रीय प्रबन्धक(विकास), उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को भवन क्रय करने हेतु सामान्य भविष्य निधि खाता संख्याः– आई0एफ0एस0यू0–1185 में जमा धनराशि रू0 24,18,026.00 / –(रूपया चौबीस लाख अठ्ठारह हजार छब्बीस मात्र) के सापेक्ष रू0 15,00,000 / –(रूपया पन्द्रह लाख मात्र) अन्तिम निष्कासन के रूप में अखिल भारतीय सेवायें (जी0पी0एफ0) नियमावली–1955 के नियम 12(1)(सी) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. यदि स्वीकृत धनराशि वर्णित मद में व्यय होने से अवशेष रह जाये तो उक्त अवशेष धनराशि आहरणकर्ता तत्काल अपने जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर देगा।

पवन कुमार
सचिव

संख्याः–782(1) / 14–1–2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार–।।, पुरनिया चौराहा, केन्द्रीय भवन,अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन,लखनऊ।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को डा0 जी0 सुधाकर, भा0व0से0, क्षेत्रीय प्रबन्धक (विकास), उ0 प्र0 वन निगम, लखनऊ की जी0पी0 एफ0 पासबुक संख्याः– आई0एफ0 एस0 यू0– 1185 मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
6. डा0 जी0 सुधाकर,भा0व0से0, क्षेत्रीय प्रबन्धक(विकास), उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव